# कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
## (शमन/स्वीकृत पत्र)

सेवा में,

श्री सूरत सिंह पुत्र स्व० श्री दीपचन्द

मै० रामप्रस्था बिल्डर्स प्रा०लि०

निवासी - सी-168 राम प्रस्था कालोनी गाजियाबाद

पत्रांक/860/ प्रवर्तन जोन-6/2018/प्रवर्तन/जी.डी.ए./20 दिनांकः 20-01-2018

विषयः- ~~भूखण्ड~~ खसरा संख्या 304,294,295,व 296, ग्राम प्रहलादगढ़ी, रामप्रस्था ग्रीन वैशाली (ग्रुप हाउसिंग) पर निर्मित भवन के निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन दिनांक 10-05-2016 शपथपत्र एवं शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 18-3-17 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन एवं अन्य धनराशि रू०7,06,19,320=00 (सात करोड़ छः लाख उन्नीस हजार तीन सौ बीस मात्र) रसीद संख्या विजया बैंक 5-5-17, 26-5-17 दिनांक 6-5-17, 26-5-17 ............के द्वारा जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृत प्रदान करते हुये शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

1. निर्मित भवनों के प्रयोग से पूर्व संपूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार संपूर्ति प्रमाण -पत्र लेने से पूर्व मौके पर सुनिशचित्त करनी होगी (300.00 वर्गमी० अथवा इससे अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल होने पर लागू) ।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृति आच्छादन के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिशचित करना होगा ।
4. शपथ पत्र दिनांक 23-10-2017 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. उपरोक्त बिन्दु 2 से 4 तक की शर्तो के अनुपालन के उपरान्त ही संपूर्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।
6. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।
7. शमन उपरान्त स्वीकृत इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं करेंगे।
8. मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 43362/2001 एवं 2435 एम.बी./2001 में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
9. शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्रधिकरण में जमा करानी होगी।
10. शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगे।
11. शमनित भवन की गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानको, स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगें।
12. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या/1594/THA /G.H/जोन-6/2010-11 दिनांक 07-6-2011 एवम अन्य में दी गई शर्तो एवं उपरोक्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। शेष शर्तें भवन पृष्ठ भाग 1 पर चस्पा है।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखितं शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगें।

भवदीय

संलग्नक : शमन मानचित्र की एक प्रति उपरोक्तानुसार ।

अवर अभियन्ता (प्रवर्तन)

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)

28/12/17

आर० पी० सिंह
सहायक अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण